

उ०प्र० शासन ने अपने पत्र संख्या 478/96-आयुष-1-2020-95/2010 दिनांक 29 जनवरी 2021 के द्वारा महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क का निर्धारण निम्न प्रकार किया है-

पाठ्यक्रम का नाम	अवधि/शैक्षणिक सत्र, जिसके लिये शुल्क का निर्धारण किया गया है।	निर्धारित अधिकतम शुल्क प्रति छात्र प्रति वर्ष (धनराशि रूपयों में)
1) बी०ए०एम०एस०	शैक्षणिक सत्र 2020-21 से	2,57,800 / -
2) एम०डी०/एम०एस० (क्लीनिकल)		3,27,600 / -
3) एम०डी०/एम०एस० (नान क्लीनीकल)		2,51,700 / -